

10/02/2023

पञ्जाबी पत्रा लुई आधिकार्य अपीलान्त
 काण भी अपुस्थित राजकीय आसिभावक
 में प्रयोग के अधिकार्य उपस्थित अक-अक
 पर तीन बार आवर्ण लगावई गई फिर भी
 अपीलान्त के अधिकार्य उपस्थित प्री पूर्व
 प्री दिनांक 23/01/2023 में अधिकार्य अपीलान्त
 के उपस्थित रखे पर उहें जखी दुरआल से
 अपुमा घी गई थी फिर भी के न्यायालय में उपस्थित
 प्री हउ उहें निर्दिष्ट किया गया आ कि उपासके
 प्री पर उपस्थित प्री प्री पर दुरआल बाय



(निदेश श्री मालतीय)
 अतिरिक्त कलक्टर,
 (प्रशासन) चिसौडगत

...लगाकर


फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

वेला _____ बनाम _____ सरकार

कार्यवाही अन्तर्गत :- _____ धारा 75 L.R. and, 1556

किस्म मुकदमा _____ शपथ ठपौर _____ नम्बर _____ 03 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>कोई सुनवाई नहीं की जायगी तथा ठपौर स्थिति में प्रकरण खारिज कर दिया जायेगा। फिर भी अपीलकर्ता अपीलकर्ता आप भी उपस्थित नहीं हुए हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं हैं। पुनः एक-एक कर अपीलकर्ता अपीलकर्ता को आवानों लगाई गई फिर भी अपीलकर्ता तथा उनके अपीलकर्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदालत छोड़ी जायगी। पुरानी में खारिज किया जाता है। पञ्जाबी केसल सुनार धेकर कि अपीलकर्ता न्यायालय को पञ्जाबी मय निर्णय की जाते है वेकित की जाये।</p> <p style="text-align: center;">  (गितेश श्री मालवीय) अतिरिक्त कलक्टर, (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ </p>	

